

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

संख्या - 178/2025

विषय :-

1. राजकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

1. हेतराम पुत्र श्योकराम जाति जाट निवासी गांधी बड़ी तहसील भादरा हनुमानगढ़।
2. दर्शना देवी पुत्री हेतराम पत्नी राजगीर जाति जाट निवासी गांधी बड़ी हाल निवासी गदली तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गांधी बड़ी जरिए शाखा प्रबंधक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद नुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा के सनक्ष वकील वादी श्री सुरेंद्र शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेंद्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत है पर वाद वादी नुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि जो नौजा चक 4 एसडीआर के खाता संख्या 123/121 के नु0न0 20 के किला नं0 19, 20, 21, 22 व नु0न0 21 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12, 16/1, 16/2, 19, 20, 21, 22, 24, 25/1, 25/2 व नु0न0 22 के किला नं0 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 19, 20/1, 20/2 व नु0न0 23 के किला नं0 1, 2 व नु0 नं0 28 के किला नं0 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 की कुल 10.3730है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व खाता संख्या 76/67 के नु0न0 27 के किला नं0 11, 20 व नु0न0 28 के किला नं0 16, 17, 18 की कुल 1.2650है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा व चक 15 एनएस के खाता संख्या 132/132 के पत्थर संख्या 0 के नु0न0 1 के किला नं0 20/1, 20/2, 21/1, 21/2 व नु0न0 8 के किला नं0 1/1, किला नं0 1/2, किला नं0 10/1, किला नं0 10/2 की कुल 0.2380है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम का 1/3 हिस्सा व चक 2 एसडीआर के खाता संख्या 12/126 के नु0न0 6 के किला नं0 16, 25 व नु0न0 15 के किला नं0 5, 6, 14 व नु0न0 1 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 12 की कुल 2.6560है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम का 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार कुल 4.7427है0 भूमि है जो सयुक्त खाता में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है नें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 हेतराम की बजाए वादी सं0 1 राजकुमार व वादी संख्या 2 देवीलाल व प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम को बहिस्सा बराबर आदेशकार कार्रकार घोषित किये जाते हैं।

तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त न के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद किया जाकर रिकॉर्ड ठुकराया जावे। खर्चा समयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(भागीरथ राम)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़